I/38779/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

मिसिल संख्या -: 9-PBC328/2022-CHA **दिनांक : 02.2023**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।
(fcf@punjab.gov.in)

विषयः- Diversion of 11.486 ha of forest land in favour of NHAI PIU I, Ambala, Haryana for construction of Ambala-Banur-Kharar section from design Km 2+500 to design Km 25+745 and Spur to PR-7 road from design Km 00+000 to design Km 10-800 for development of Memmadpur (Ambala)- Banur (IT City Chowk)-Kharar (Chandigarh) Corridor with Spur to PR-7 Road under Bharatmala Parijojana (Lot-4/Package-1), under forest division and District SAS Nagar, Punjab (Online proposal no. FP/PB/Road/120862/2021 regarding

संदर्भ (i)State Government online proposal received on dated 24.03.2022.
(ii)अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी (FCA), पंजाब सरकार के पत्र संख्या FOREST-FCA0FC4R/10/2021 दिनांक 04.01.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **20.05.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक व नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FOREST- FCA0FC4R/10/2021 दिनांक 04.01.2023 (E-mail) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य **11.486** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी ।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष/पोल्स काटे जायेगें और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों जीवों की सुरक्षा का ध्यान रखा | प्रस्ताव में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 995 और पोल्स की संख्या 85 से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Pir Muchella, District SAS Nagar-7 ha and Bir Chatt, District SAS Nagar-5 ha and Village Manjhi PF, District Hoshiarpur-10.972 ha,** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त CA की धनराशि **2,45,60,035/-** रूपये (**Rupees two crore forty five lakh sixty thousand & thirty five only**) से **22,972** पौधें लगाकर किया जायेगा|

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Bir Chatt, Tehsil Kharar, District SAS Nagar**, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त CA की धनराशि **4,34,350/-** रूपये (**Rupees four lakh thirty four thousand three hundred & fifty only**) से **170** पौधें लगाकर किया जायेगा|

v. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।**

vi. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी ।**

vii. **DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site (sites) को नहीं बदला जाएगा ।**

viii. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी ।**

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

ix. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

x. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xiii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiv. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा |

xv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा |

xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि संरक्षण के लिए वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी |

xvii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके |

xviii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|

xix. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xx. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xxi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।***

भवदीय,

Signed by Gobind Sagar Bhardwaj
Date: 21-02-2023 17:17:28
Reason: Approved

हस्ता/
(डॉ गोबिंद सागर भारद्वाज)
उप-वन- महानिदेशक
IRO, MoEF&CC

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

I/38779/2023

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली | (fcdiv-mefcc@gov.in)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब| (pccfpunjab @gmail.com)
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CAMPA, फारेस्ट कॉम्प्लेक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब (ceo.puncampa@gmail.com)
4. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला एस०ए०एस० नगर, पंजाब| (dfosasnagar@gmail.com) (dfodasuya@gmail.com)
5. NHAI, PIU AMBALA HARYANA, 17 L model Town Ambala City (piu1amb@gmail.com).

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A**, Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in